



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090 ]  
No. 1090]नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930**दिल्ली विकास प्राधिकरण  
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2008

का.आ.1903(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—  
**एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारीक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र विनियम, 2008**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवागमन में वृद्धि करने, भीड़ को कम करने और मानक परिवहन योजना पद्धतियाँ, क्षमता निर्माण, प्रवर्तन उपाय, सड़क सुरक्षा निगरानी, यातायात इंजीनियरिंग पद्धतियाँ लागू करके यातायात सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तथा अच्छी लेन क्षमता एवं कार्य जोन प्रबंध, उपयोगिताओं के समन्वय, यातायात की समझ को विकसित करके और यातायात योजना की कमियों को दूर करके बेहतर संगठनात्मक समन्वय को अपनाने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारीक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र स्थापित किया गया है। यातायात एवं परिवहन केन्द्र का कार्य इन विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू होंगे।

**परिभाषाएँ**

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अथवा अभिप्राय से कुछ असंगत न हो :—

—“अधिनियम” से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है।

—“प्राधिकरण” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

—“एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारीक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) “केन्द्र” (यातायात एवं परिवहन केन्द्र के रूप में संदर्भित) से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत गठित समिति से है।

—“सदस्यों” से अभिप्राय एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारीक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र के सदस्यों से होगा।

**एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारीक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र हेतु उपविधि****01. नाम**

केन्द्र का नाम “एकीकृत यातायात एवं परिवहन (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र” होगा, जिसे इसके बाद ‘यातायात परिवहन केन्द्र’ (टी टी सेन्टर) कहा जाएगा।

**02. कार्यालय**

‘यातायात एवं परिवहन केन्द्र’ (टी टी सेन्टर) का कार्यालय विकास मीनार, दि. वि. प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

**03. उद्देश्य एवं लक्ष्य**

“एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारीक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र” के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) यातायात एवं परिवहन की योजना एवं इंजीनियरिंग पद्धति के मानदंडों और मानकों का अध्ययन एवं समन्वय करना।

(ii) राष्ट्रीय परिवहन नीति 2006 एवं दिल्ली मुख्य योजना 2021 परिवहन प्रस्तावों के कार्यान्वयन का इंजीनियरिंग पहलू।

(iii) यातायात सड़क सुरक्षा समीक्षा मार्ग-निर्देश (टी.आर.एस.ए.जी.)।

(iv) निर्वाह योग्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के इंजीनियरिंग और आधारीक-संरचना पहलुओं को समन्वित करना।

(v) पार्किंग नीति तैयार करना और पार्किंग समाधान प्रस्तुत करना।

(vi) यातायात एवं परिवहन संबंधी मुद्दों की कॉरिडोरवार सूची, यातायात प्रबंध नीतियाँ और प्रवर्तन मार्ग-निर्देश।

(vii) यातायात एवं परिवहन प्लान/डाटा बेस/सूचना/डिजिटिकरण एवं वेबसाइट विकास संबंधी कार्य में भागीदारी के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(viii) यातायात एवं परिवहन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणात्मक प्रभाव निर्धारण मार्ग-निर्देश तैयार करना।

(ix) संकेत चिह्नों, स्ट्रीट फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलों, विज्ञापन पट्टों (होर्डिंग्स), वृक्षों, सड़कों के किनारे भू-दृश्यांकनों, जेबरा क्रॉसिंग, पैदल-पथों, यात्री-सुविधाओं आदि के लिए प्रोटोकॉल और मानकों का विकास करना।

(x) मूल्यांकन—जन भागीदारी—फीडबैक।

(xi) 'यातायात एवं परिवहन केन्द्र' द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य संबंधित कार्यकलाप आरंभ करना, जिनमें समन्वय, क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण शामिल हैं।

**04. 'यातायात एवं परिवहन केन्द्र' का गठन 'टी टी केन्द्र' के शासी निकाय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:—**

उप-राज्यपाल, दिल्ली	—अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	—उपाध्यक्ष
अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
प्रधान आयुक्त एवं सचिव (टी.पी.टी.)	—सदस्य
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	
विशेष कार्य अधिकारी (एम.आर.टी.एस.)	—सदस्य
शहरी विकास मंत्रालय	
आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.	—सदस्य
सचिव, भारतीय सड़क कांग्रेस	—सदस्य
(इंडियन रोड कांग्रेस)	
अध्यक्ष, सड़क यातायात शिक्षण संस्थान	—सदस्य
मुख्य नियोजक, टी. सी. पी. ओ.	—सदस्य
प्रमुख, यातायात एवं परिवहन डिवीजन,	—सदस्य
सी. आर. आर. आई.	
प्रबंधक निदेशक, डी.आई.एम.टी.एस.	—सदस्य
मुख्य नगर नियोजक, दि.न.नि.	—सदस्य
मुख्य अभियंता, दि.न.नि.	—सदस्य
मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग	—सदस्य
मुख्य अभियंता, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्	—सदस्य
मुख्य अभियंता (योजना) उत्तरी क्षेत्र	—सदस्य
निदेशक (परियोजना), डी.एम.आर.सी	—सदस्य

संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात)	—सदस्य
अपर आयुक्त (योजना) यातायात एवं परि, दि. वि. प्रा.	—सदस्य
निदेशक (यातायात एवं परिवहन)	—सदस्य
दि. वि. प्रा./वरिष्ठ सलाहकार (यातायात एवं परियोजना)	—सदस्य सचिव

अन्य संगठनों जैसे-एस.पी.ए., आई आई टी, दिल्ली, डी सी ई, एन जी ओ और ऐसी संस्थाओं से विशेषज्ञों को सहयोजित किया जाता है।

शासी निकाय की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी।

दैनिक कार्यों हेतु और शासी निकाय की सहायता के लिए कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) गठित किए जाएंगे।

#### 05. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के कार्य

खंड 3 में दिए गए लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यातायात एवं परिवहन केन्द्र निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- (क) रा.रा.क्षे. दिल्ली में समान रूप से अपनाते के लिए हैंड बुक्स/उत्तम अभ्यास/यातायात-परिवहन योजना एवं इंजीनियरिंग मानदंडों पर आधारित एक मैनुअल संकलित करना।
- (ख) उपलब्ध यातायात एवं परियोजनाओं का डिजिटिकरण करना।
- (ग) यातायात एवं परिवहन परियोजनाओं हेतु एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम का विकास करना।
- (घ) संबंधित स्थानीय निकायों को शामिल करके एकीकृत भाड़ा परिसर (आई.एफ.सी.) महानगर यात्री टर्मिनल (एम.पी.टी.), अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (आई.एस.बी.टी.) सहित यातायात एवं परिवहन परियोजनाओं के एकीकृत विकास में समन्वय स्थापित करना।
- (ङ) छोटे-छोटे सुधार और मरम्मत कार्यों पर बल देकर क्षमता-संवर्धन हेतु शहरी कॉरिडोरों को चमकाना, ताकि सड़कों पर किसी भी प्रकार की कोई खराबी या दोष न रहे और यातायात की भीड़-भाड़ से राहत मिले।
- (छ) दिल्ली में सड़क इंजीनियरी/आधारीक संरचना की बाधाओं वाली किसी भी एजेंसी द्वारा सभी परिवहन परियोजनाओं/परिवहन इंजीनियरिंग समाधान के लिए केन्द्र की अनुमति आवश्यक होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नवीनतम टेक्नालोजी और अनुसंधान निष्कर्ष सभी नई सड़कों पर लागू हो रहे हैं।
- (ज) इस केन्द्र को स्टाफ का तकनीकी समर्थन एवं सचिवालयिक सहायता प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।

#### 06. यातायात एवं परिवहन केन्द्र की बैठकें

जब भी आवश्यक होगा, टी टी केन्द्र की बैठकें आयोजित की जाएंगी। टी टी केन्द्र को अपनी कार्य-पद्धति संचालित करने की

शक्तियां प्राप्त होंगी। सदस्य सचिव बैठकों का रिकॉर्ड रखेंगे और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

07. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष की शक्तियां अध्यक्ष को इन विनियमों के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझी गई कार्रवाई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तथापि, वे अगली बैठक में पुष्टि के अधीन होंगी।

08. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उपाध्यक्ष की शक्तियां उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहयोग में कार्य करेंगे और केन्द्र के सामान्य कार्य देखेंगे।

09. केन्द्र के सदस्य-सचिव की शक्तियां सदस्य-सचिव केन्द्र के कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य करेंगे।

10. समितियों का गठन

(क) कार्य-समूह और कार्यकारी समिति :-

यातायात और परिवहन केन्द्र के दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- |  |             |
|--|-------------|
| (1) उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा.                                  | —अध्यक्ष    |
| (2) वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.                               | —सदस्य      |
| (3) अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.                             | —सदस्य      |
| (4) आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.                            | —सदस्य      |
| (5) अपर आयुक्त (योजना), टी टी                                | —सदस्य      |
| (6) परियोजना प्रबंधक (फ्लाई ओवर) ग्रुप-I एवं II, दि.वि.प्रा. | —सदस्य      |
| (7) निदेशक (टी टी), दि. वि. प्रा./सलाहकार (टी टी)            | —सदस्य सचिव |

कार्यकारी समिति उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इसे यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ख) यातायात एवं परिवहन केन्द्र अभियंता सदस्य और आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में कार्य-समूहों का गठन कर सकता है।

(ग) इसके अतिरिक्त, यातायात एवं परिवहन केन्द्र, यदि आवश्यक समझे तो यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा समय-समय पर आरंभ की जाने वाली विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की निगरानी और निष्पादन के लिए, किसी अन्य समिति का गठन कर सकता है।

11. बजट, वित्त एवं लेखा

(1) यातायात एवं परिवहन केन्द्र स्थापित करने और इसके संचालन कार्यों के लिए व्यय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदान एवं ऋण और दान आदि से पूरा किया जाएगा।

(2) यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित संशोधित और बजट अनुमानों को अनुमोदनार्थ, प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

(3) केन्द्र के लिए वित्तपोषण की विधि तथा निधि प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतान के रिकॉर्ड के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाएगा।

(4) यातायात और परिवहन केन्द्र उचित लेखा और अन्य संबंधित रिकॉर्डों का रख-रखाव करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रूप में तुलन-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

12. लेखा परिचालन

यातायात एवं परिवहन लेखा का संचालन, वित्त सदस्य, दि.वि. प्रा. द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

13. व्यय करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र को, यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने और पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे गए व्यय संस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

14. स्टाफ नियुक्त करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र में संपूर्ण लिपिकीय स्टाफ और लेखा स्टाफ की तैनाती, दि.वि.प्रा. के विद्यमान स्टाफ में से की जाएगी। तथापि, सलाहकारों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

15. लेखा-परीक्षा

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लेखा परीक्षा, दि.वि. अधिनियम, 1957 के अनुसार की जाएगी।

16. बैठकों में उपस्थित होने हेतु मानदेय

यातायात एवं परिवहन केन्द्र की बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर यथा निर्णीत मानदेय दिया जाएगा।

17. विवाद

किसी भी विवाद पर, उप-राज्यपाल, दिल्ली, जो यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा।

18. कानूनी कार्यवाही

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के विरुद्ध रा.रा.क्षेत्र दिल्ली से बाहर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

19. दि.वि. अधिनियम, 1957 की प्रयोज्यता

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधान लागू होंगे।

20. निरसन और बचाव

इन विनियमों के आरंभ होने की तिथि को और इस तिथि से यातायात एवं परिवहन केन्द्र तदनुसार कार्य करेगा बशर्ते कि यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लिए एवं उसके द्वारा पहले की गई कार्रवाई प्रभावित न हो।

[फा. सं. एफ. 5 (44) 2007/एम पी]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2008

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957

(61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby makes the following regulations, namely :—

**UNIFIED TRAFFIC AND TRANSPORTATION  
INFRASTRUCTURE (PLANNING AND  
ENGINEERING) CENTRE REGULATIONS, 2008**

With a view to enhance mobility, reduce congestion and to promote traffic safety by adopting standard transport planning practices, capacity building, enforcement measures, road safety audits, traffic engineering practices and better organizational co-ordination for improved traffic management by efficient lane capacity and work zone management, utilities coordination, developing traffic culture and avoiding transport planning pitfalls in the National Capital Territory of Delhi, the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre is set up by Delhi Development Authority in exercise of powers under Section 5A of the Act. The business of the TT Centre will be governed by these Regulations :—

These regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

**DEFINITIONS**

In these Regulations unless there is anything inconsistent with the context or meaning :—

—“Act” means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

—“Authority” means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.

—“Unified” Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre” (referred as TT Centre) means the committee constituted by the Authority under Section 5A of the Act.

—“Members” shall mean the members of the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre.

**BYE-LAWS FOR THE UNIFIED TRAFFIC AND  
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE  
(PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE**

**01. Name**

The name of the Centre shall be “Unified Traffic and Transportation (Planning & Engineering) Centre” hereinafter called the “TT Centre”.

**02. Office**

The office of the ‘TT Centre’ shall be located in Vikas Minar, DDA office, New Delhi.

**03. Aims and Objectives**

The aims and objectives of the “Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre” shall be as follows :—

- (i) To study and coordinate the norms and standards for Planning and Engineering Practices in Traffic and Transportation.
- (ii) Engineering Aspects of Implementation of National Transport Policy-2006 and Master Plan of Delhi-2021 Transportation proposals.

- (iii) Traffic Road Safety Audit Guidelines (TRSAG).
- (iv) To coordinate the Engineering and Infrastructure aspects of sustainable public transportation system.
- (v) To evolve a parking policy and evolve parking solutions.
- (vi) Inventory of corridor-wise Traffic and Transportation issues, Traffic Management Strategies and Enforcement Guidelines.
- (vii) To act as a repository for sharing of traffic and transportation plans/database/information/digitization and website development.
- (viii) Evolving Environmental Impact Assessment Guidelines for Traffic and Transportation Projects.
- (ix) Developing protocols and norms for signages, street furniture, lighting, signals, hoardings, trees, roadside landscapes, zebra crossing, pedestrian passages, commuter facilities etc.
- (x) Evaluation—Public participation—Feedback.
- (xi) To take up other related activities as may be considered appropriate by the ‘TT Centre’ including co-ordination, capacity building and training.

**04. Constitution of the TT Centre**

The Governing Body of the TT Centre shall comprise the following members :

LG, Delhi	—Chairman
Vice-Chairman, DDA	Vice-Chairman
Engineer Member, DDA	—Member
Pr. Commissioner-cum-Secy. (TPT) GNCTD	—Member
OSD (MRTS), MOUD	—Member
Commissioner (Plg.), DDA	—Member
Secretary, Indian Roads Congress (IRC)	—Member
President, Institute of Road Traffic Education	—Member
Chief Planner, TCPO	—Member
Head, Traffic & Transportation	—Member
Division, CRRI	
Managing Director, DIMTS	—Member
Chief Town Planner, MCD	—Member
Engineer in Chief, MCD	—Member
Engineer in Chief, PWD	—Member
Engineer in Chief, NDMC	—Member
Chief Engineer, NR	—Member
Director (Project), DMRC	—Member
Joint Commissioner of Police (Traffic)	—Member
Additional Commissioner (Planning) TT, DDA	—Member
Director (TT) DDA/Sr. Advisor (TT)	Member-Secy.

Experts can be co-opted from other organizations like SPA, IIT Delhi, DCE, NGOs and other such institutions.

The meeting of the Governing Body shall be normally held every three months.

Working Groups shall be constituted for day to day work and to help the Governing Body.

#### 05. Functions of the TT Centre

In view of Aims and Objectives defined in clause 0.3, the TT Centre shall perform the following functions :—

- (a) To compile a manual based on hand books/best practices/Traffic transportation planning and engineering norms for uniform adoption in NCT Delhi.
- (b) To digitize the available Traffic & Transportation plans.
- (c) To develop a comprehensive integrated programme for traffic and transportation projects.
- (d) To coordinate integrated development of traffic & transportation projects including Integrated Freight Complex (IFC), Metropolitan Passenger Terminal (MPT), Inter-State Bus Terminal (ISBT) by involving concerned local bodies.
- (e) To coordinate refurbishment of urban corridors for capacity augmentation with focus on small improvements and retrofitting measures that synergize into zero defect roads and relieving traffic congestion.
- (g) All transportation projects/transport Engineering solutions in Delhi by any agency having road Engineering/Infrastructure implication would require clearance of the centre. This would ensure that latest technology and research finding support is available to all new roads and projects.
- (h) The Technical support of staff and secretarial assistance to this centre shall be provided by the Authority.

#### 06. Meetings of the TT Centre

The meetings of the TT Centre shall be held as and when required. The TT Centre shall have the powers to regulate its own procedure. The Member-Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow up actions.

#### 07. Powers of the Chairman of the TT Centre

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However, they shall be subject to the confirmation in its next meeting.

#### 08. Powers of the Vice Chairman of the TT Centre

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the Centre.

#### 09. Powers of the Member-Secretary of the Centre

The Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Centre.

#### 10. Constitution of the Committees

##### (a) Working Groups and Executive Committee :

For smooth day to day functioning of the TT Centre there shall be an Executive Committee comprising of the following :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (i) Vice Chairman, DDA                            | —Chairman         |
| (ii) Finance member, DDA                          | —Member           |
| (iii) Engineer member, DDA                        | —Member           |
| (iv) Commissioner (Plg.), DDA                     | —Member           |
| (v) Addl. Commr. (Plg.) TT                        | —Member           |
| (vi) Project Manager (Flyover)<br>Gr. I & II, DDA | —Member           |
| (vii) Director (TT) DDA/Advisor (TT)              | —Member-Secretary |

The Executive Committee will exercise such powers as may be delegated to it by the TT Centre.

(b) The TT Centre may constitute working Groups under the Chairmanship of Engineer Member and Commissioner (Plg.), DDA.

(c) The TT Centre may, in addition, constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the TT Centre from time to time.

#### 11. Budget, Finance & Accounts

(i) The expenses for setting up of the TT Centre and its operational activities shall be met by the Delhi Development Authority, Grants and Loans given by Govt. of India, GNCTD/Local Bodies and donations etc.

(ii) The revised and budget estimates in respect of the TT Centre shall be placed before the Authority for its approval.

(iii) The modalities of financing and processing of funds for the centre will be prescribed by the Authority. A Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to the TT Centre.

(iv) The TT Centre shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the Authority may prescribe.

#### 12. Operation of Accounts

The Account of the TT Centre shall be operated by an officer so authorized by the Finance Member.

2894 GI/08-2

**13. Powers to Incur Expenses**

The TT Centre shall have the power to sanction such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the TT Centre.

**14. Powers for Engagement of Staff**

All Ministerial Staff and Accounts Staff will be posted in the TT Centre by redeployment of DDA's existing staff. However, advisors/experts/consultants will be on contract basis.

**15. Audit**

The Audit of Accounts of the TT Centre shall be conducted as per the DD Act, 1957.

**16. Honorarium for Attending Meetings**

The non-official members will be given an honorarium as may be decided from time to time for attending the meeting of the TT Centre.

**17. Disputes**

The decision of the Lt. Governor, Delhi who is the Chairman of the TT Centre on any dispute shall be final.

**18. Legal Proceedings**

No suit against the TT Centre shall lie in any Court outside the NCT, Delhi.

**19. Applicability of DD Act, 1957**

The provisions of the Delhi Development Authority Act, 1957 as amended from time to time will apply.

**20. Repeal and Saving**

On and from the date of commencement of these Regulations, the TT Centre shall act accordingly, provided that the actions already taken for and by the TT Centre shall not be affected.

[F.No. F.5 (44) 2007/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Comm.-cum-Secy.